

आदिवासी बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं : राँची जिले के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन

Syed Rashida Abbas

Research Scholar, Dept of Education, RKDF University, Ranchi

सारांश (Abstract): शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का प्रमुख आधार है। भारत के संविधान में प्रत्येक बालक एवं बालिका को समान शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बावजूद आज भी आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाएं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। झारखण्ड के राँची जिले में आज भी आदिवासी समुदाय की पर्याप्त जनसंख्या निवास करती है, जहां बालिकाओं की शिक्षा अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा विद्यालयी समस्याओं से प्रभावित होती रहती है। गरीबी, अभिभावक की अशिक्षा, विद्यालय की दूरी, बालश्रम, घरेलू कामों का बोझ, लैंगिक असमानता जैसी समस्याएं बालिकाओं की नियमित उपस्थिति और शैक्षिक उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य आदिवासी बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा में आने वाली प्रमुख बाधा की पहचान करना तथा उनके समाधान के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना। अध्ययन में वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट होता है कि यदि विद्यालयीय सुविधाओं में सुधार, अभिभावकों में जागरूकता, आर्थिक सहयोग तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये तो आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा में सुधार सम्भव है।

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 30 July 2026

Received in revised form
10 August 2026

Accepted 15 August 2026

Citation: Abbas. S. R., (2026)

“आदिवासी बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं : राँची जिले के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन”, *Pen and Prosperity*, Vol. 3, Issue. 4, August 2026.

कुंजी शब्द : शिक्षा, समाज, आदिवासी, बालिका, राँची, देश।

भूमिका :

शिक्षा पर सबका समान अधिकार है। चाहे वह किसी भी, जाति, धर्म, वर्ण अथवा समुदाय का हो। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मानव की मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा जिससे उसको शैक्षिक, आर्थिक, बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक तथा राज्य व देश का विकास होता है। पौधे का विकास कृषि से तथा मनुष्य का विकास शिक्षा से होता है। बालक जन्म के समय असहाय होता है। जैसे-जैसे लोगों के सम्पर्क में आता है। उनसे कुछ न कुछ सीखा करता है। शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास सम्भव ही नहीं है।

आज हमारे देश के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यकता शिक्षित नारियों की है। आज नारियां हर क्षेत्र में पुरुषों का साथ दे रही हैं। समाज व देश के विकास का उत्तरदायित्व परिवार पर आता है वर्तमान में यह दायित्व विद्यालयों एवं अन्य सामाजिक संस्थान के कन्धों पर आ गया है लेकिन आज भी परिवार का महत्व कम नहीं हुआ है परिवार शिक्षा का प्रथम केन्द्र विन्दु है। परिवार में माता का स्थान सर्वोपरि है शिक्षित माता के अभाव में परिवार के शिक्षा एक दिवास्वप्न है। अतः माता की शिक्षा स्त्री की शिक्षा बहुत जरूरी है। माता ही बालक की प्रथम पाठशाला है। शिक्षित माता ही परिवार व समाज को सुसंस्कृत बनाती है। लिंग भेद के आधार पर स्त्री शिक्षा की उपेक्षा नहीं किया जा सकता है। समाज में स्त्री व पुरुषों दोनों का समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समाज के विकास के लिए पुरुषों के समान ही स्त्रियों का सहयोग भी जरूरी है।

झारखण्ड दो शब्दों से मिलकर बना है झार+खण्ड, झार का अर्थ है झाड़ी (वन), खण्ड का अर्थ है टुकड़ा अतः झारखण्ड का अर्थ हुआ वन प्रदेश। झारखण्ड एक जनजातीय राज्य है। 15 नवम्बर 2000 को ये प्रदेश देश का 28 वां राज्य बना। बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर कर झारखण्ड राज्य का निर्माण किया गया। जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखण्ड शब्द का प्रयोग पहली बार 13 वीं शताब्दी में एक ताम्र पत्र में हुआ है। झारखण्ड का राँची जिला जनजातीय संस्कृति और परम्पराओं से समृद्ध है। यहाँ मुण्डा, उराव, हो तथा अन्य जनजातियां निवास करती हैं। आज भी यह लोग शिक्षा से वंचित हैं। अधिनियम शिक्षा का अधिकार 2009 के माध्यम से 6-14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा अभी भी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है।

यद्यपि सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति तथा अन्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं फिर भी राँची जिले के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई है। अनेक बालिकाएं नियमित विद्यालय नहीं जा पाती हैं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसलिए यह अध्ययन जरूरी है कि उन सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा विद्यालयी कारणों की पहचान की जाएँ जो आदिवासी बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं।

बालिका शिक्षा का महत्व :

आज के युग में स्त्रियों को देश के विकास में विशेष योगदान माना जाता है। इसलिए बालिकाओं की शिक्षा में विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षित बालिकाओं के बिना किसी भी राष्ट्र व देश का निर्माण नहीं किया जा सकता है। आज हम लोग बालक व बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देते हैं। हम लोग स्त्री शिक्षा का इसलिए महत्व देते हैं कि जैसी माँ होती है वैसे ही बच्चों में संस्कार आते हैं माँ घर में रहकर बच्चों की देखभाल करती है। घर की उचित देखभाल तभी कर सकती है जब वो पढ़ी-होगी। शिक्षित होने पर वह परिवार के लोगों की आवश्यकता और परिस्थितियों को समझ कर उनका निवारण कर सकेगी।

साहित्य समीक्षा :

इस अध्ययन कार्य की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि अध्ययनकर्ता ने पूर्व में किए गए अध्ययनों का कितना गम्भीर अध्ययन किया है। साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि विषय पर अब तक क्या कार्य हुआ है और वर्तमान शोध उसकी तुलना में क्या योगदान देगी।

(1) कोठारी आयोग (2004) –

सी. आर. कोठारी ने अपनी पुस्तक शोध में बताया कि किसी भी शोध की सफलता उपयुक्त शोध पद्धति नमूना चयन तथा आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण पर निर्भर करता है।

(2) दास आर. सी. 2013 –

इन्होंने असम में प्राथमिक स्तर के विशेष सन्दर्भ में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अपव्यय व अवरोधन का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह देखा गया कि प्राथमिक स्तर पर अपव्यय की दर बहुत उच्च थी। प्राथमिक स्तर पर लड़कों की तुलना में लड़कियों की अपव्यय की दर बहुत अधिक थी।

(3) रूही कान्त 2017 –

इन्होंने अपने शोध में प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों के पठन आदतों व लेखन कौशल पर निर्देशात्मक परामर्श के प्रभावों का अध्ययन किया।

(4) सिंधी एन. के. 2018 –

इन्होंने अपने शोध में राजस्थान के विद्यालयों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया।

(5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिकाओं तथा जनजातीय समुदाय की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई। शिक्षा नीति में गुणवत्ता पूर्ण एवं समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है।

(6) UDISE + रिपोर्ट –

UDISE + रिपोर्ट के अनुसार जनजाति जनजातीय क्षेत्रों में नामांकन में वृद्धि हुई है, किन्तु नियमित उपस्थिति और अधिगम स्तर आज भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

(7) जनजातीय कार्य मंत्रालय –

इस मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आर्थिक, कठिनाइयों विद्यालयों की दूरी तथा जागरूकता की कमी आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करती है।

(4) NCERT –

NCERT के अध्ययनों के अनुसार प्राथमिक स्तर आधारभूत सुविधाओं, प्रशिक्षित शिक्षकों तथा बालिका-अनुकूल वातावरण का शिक्षा की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

उपलब्ध अध्ययनों से स्पष्ट है कि आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं विद्यालयीय कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राँची जिले के विशेष सन्दर्भ में इन बाधाओं का समग्र अध्ययन अभी भी आवश्यक है जिससे यह शोध पूरा करने का प्रयास करता है।

उद्देश्य –

- (1) आदिवासी बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
- (2) शिक्षा में आने वाली सामाजिक बाधाओं का अध्ययन।
- (3) आर्थिक एवं पारिवारिक बाधाओं का विश्लेषण करना।
- (4) विद्यालयीय सुविधाओं एवं समस्याओं का अध्ययन करना।
- (5) बालिका शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
- (6) बालिकाओं को सुमाता तथा सुगृहणी बनाने की शिक्षा दी जाये।
- (7) अध्ययन ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाये जो बालिकाओं को समाज में समान स्थान दिला सके।
- (8) नारियों को समान कार्यों के लिए पुरुषों के बराबर वेतन दिया जाये।

समग्र दृष्टिकोण :-

इस अध्ययन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह न केवल शिक्षा की स्थिति का आकलन करता है, बल्कि आदिवासी लड़कियों की शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक संरक्षण और लैंगिक समानता से जोड़कर देखता है। इसके उद्देश्य केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज और नीति-निर्माताओं के लिए दिशा-निर्देशक सिद्धांत प्रस्तुत करना भी हैं।

अध्ययन की कार्यप्रणाली :-

इस अध्ययन का उद्देश्य झारखंड राज्य में आदिवासी लड़कियों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति, उनसे जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं का गहन विश्लेषण करना था। अध्ययन के लिए झारखंड के पाँच आदिवासी बहुल जिलों – राँची, खूंटी, गुमला, दुमका और पश्चिम सिंहभूम का चयन किया गया। इन जिलों का चयन विशेष रूप से इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ आदिवासी आबादी अधिक है और शिक्षा की स्थिति अन्य जिलों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। इन जिलों में शिक्षा के भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कई बाधाएँ देखी गई हैं, जैसे दूरस्थ क्षेत्र, जंगलों और पहाड़ियों में बसे गाँव, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, तथा सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभाव।

नमूना चयन :-

अध्ययन में कुल 200 आदिवासी परिवारों को शामिल किया गया। इन परिवारों में 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियाँ थीं। यह आयु वर्ग इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा शामिल होती है और यह वह समय है जब लड़कियाँ अक्सर शिक्षा छोड़ देती हैं। नमूना चयन के दौरान प्रयास किया गया कि विभिन्न आदिवासी समूहों जैसे संथाल, मुंडा, उराँव, हो, और असुर की लड़कियाँ समान रूप से शामिल हों। इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सुनिश्चित किया गया ताकि अध्ययन में भौगोलिक और सामाजिक विविधता का ध्यान रखा जा सके।

साक्षात्कार :-

अध्ययन के अंतर्गत अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ साक्षात्कार किया गया। अभिभावकों से यह पता लगाया गया कि वे लड़कियों की शिक्षा को कितनी प्राथमिकता देते हैं, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मानसिकता का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, तथा किन कारणों से लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं। शिक्षकों से यह जाना गया कि स्कूलों में उपस्थिति, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम की कठिनाइयों और बच्चों की सीखने की क्षमता किस प्रकार प्रभावित होती है। विद्यार्थियों से उनके अनुभव, स्कूल में कठिनाइयाँ, भाषा संबंधी समस्याएँ और भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

प्रत्यक्ष अवलोकन :-

अध्ययन के दौरान विद्यालयों का प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया गया। इसमें स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, बिजली, पुस्तकालय, खेल की सुविधाएँ और परिवहन की उपलब्धता का मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों की उपस्थिति, कक्षा में शिक्षक की गतिविधियों, शिक्षण की गुणवत्ता और बच्चों की सहभागिता का निरीक्षण किया गया।

इस कार्यप्रणाली के माध्यम से न केवल आंकड़ों का संग्रह किया गया, बल्कि क्षेत्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में आदिवासी लड़कियों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति को भी समझने का प्रयास किया गया। अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल स्कूलों की उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक जागरूकता, आर्थिक स्थिति, परिवार की मानसिकता और बुनियादी ढाँचे जैसी कई कारकों से प्रभावित होती है।

इस तरह की कार्यप्रणाली ने अध्ययन को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया और भविष्य में आदिवासी लड़कियों की शिक्षा को सुधारने हेतु ठोस नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करने का आधार तैयार किया।

अध्ययन में संकलित डेटा का विश्लेषण और व्याख्या :-

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में आदिवासी लड़कियों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति का गहन अध्ययन करना था। इस अध्ययन में झारखंड के पाँच आदिवासी बहुल जिलों – रांची, खूँटी, गुमला, दुमका और पश्चिम सिंहभूम – में 200 आदिवासी परिवारों के डेटा को संकलित किया गया। डेटा संग्रह के मुख्य स्रोतों में परिवार, छात्राओं और शिक्षकों के साथ साक्षात्कार, विद्यालयों का प्रत्यक्ष निरीक्षण और विद्यालय रिकॉर्ड शामिल थे। इस खंड में हम संकलित डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करेंगे जिससे आदिवासी लड़कियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

1- विद्यालय उपस्थिति और ड्रॉपआउट दर

संकलित डेटा के अनुसार, 10–14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों की विद्यालय उपस्थिति अपेक्षाकृत उच्च रही, लगभग 75% लड़कियाँ नियमित रूप से स्कूल जाती थीं। हालांकि, 15–18 वर्ष आयु वर्ग में यह उपस्थिति तेजी से घटकर लगभग 45% रह गई। इस गिरावट का मुख्य कारण प्रारंभिक विवाह, घरेलू जिम्मेदारियाँ और आर्थिक आवश्यकताएँ थीं। कई परिवार लड़कियों को खेतों, घर के काम या अन्य आय-सृजन गतिविधियों में शामिल करते हैं।

ड्रॉपआउट दर का विश्लेषण दर्शाता है कि लड़कियाँ विद्यालय छोड़ने के प्रमुख कारण आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक बाधाएँ हैं। विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर अधिक रही। यह डेटा स्पष्ट करता है कि केवल स्कूल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है लड़कियों को स्कूल आने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण की आवश्यकता है।

2- शैक्षणिक प्रदर्शन और सीखने की क्षमता

साक्षात्कार और कक्षा अवलोकन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आदिवासी लड़कियों का शैक्षणिक प्रदर्शन माध्यमिक स्तर पर अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया। प्राथमिक स्तर की पढ़ाई में अधिकांश लड़कियाँ औसतन 60–65% अंक प्राप्त करती थीं, जबकि माध्यमिक स्तर पर यह औसत घटकर 40–50% रह गया। इसका मुख्य कारण भाषा की बाधा और शिक्षक उपस्थिति में कमी थी।

भाषाई अंतर का विश्लेषण यह दर्शाता है कि जिन विद्यालयों में शिक्षक आदिवासी भाषाओं को समझते थे और बहुभाषी शिक्षण विधियों का उपयोग करते थे, वहाँ लड़कियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा। इससे स्पष्ट होता है कि मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा सीखने की क्षमता को बढ़ा सकती है।

3- सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण

साक्षात्कार से यह निष्कर्ष निकला कि अधिकांश अभिभावक लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझते हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक प्रतिबंधों के कारण उन्हें स्कूल भेजना कठिन होता है। लगभग 60% अभिभावक मानते हैं कि लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है, लेकिन केवल 35% ने कहा कि वे अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा तक भेजेंगे। सामाजिक प्रथाएँ जैसे बाल विवाह और पारंपरिक भूमिकाओं का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा गया। कई परिवार मानते हैं कि लड़कियों का अंतिम उद्देश्य विवाह और गृहस्थी है। यह दृष्टिकोण शिक्षा में रुचि और विद्यालय में उपस्थिति को प्रभावित करता है।

4- भौगोलिक और बुनियादी ढाँचे से संबंधित बाधाएँ

प्रत्यक्ष अवलोकन और डेटा संग्रह के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यालयों में बुनियादी ढाँचे की कमी है। लगभग 70% विद्यालयों में पर्याप्त शौचालय की सुविधा नहीं थी। पेयजल और बिजली की समस्या भी आम थी। इसके अलावा, कई गाँवों में स्कूलों तक पहुँचने के लिए लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिससे लड़कियों की उपस्थिति प्रभावित होती है।

सुरक्षा से संबंधित चिंता भी प्रमुख कारणों में शामिल थी। लड़कियों के लिए सुरक्षित परिवहन का अभाव और जंगलों या पहाड़ियों से होकर स्कूल जाना उन्हें जोखिमपूर्ण लगता है।

5- सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता

डेटा से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी योजनाएँ आदिवासी लड़कियों की शिक्षा में कुछ हद तक प्रभावी रही हैं, लेकिन उनकी पहुँच और क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता है।

- **मध्याह्न भोजन योजना :-** बच्चों की स्कूल उपस्थिति में वृद्धि हुई और अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी।
- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) :-** जागरूकता अभियान ने लैंगिक समानता और शिक्षा के महत्व को उजागर किया, लेकिन स्थानीय सामाजिक मान्यताओं के कारण प्रभाव सीमित रहा।
- **आदिवासी उपयोजना (TSP):** वित्तीय और बुनियादी ढाँचे संबंधी संसाधन प्रदान किए गए, जिससे स्कूलों की स्थिति में सुधार आया।
- **डेटा की व्याख्या :-** संकलित डेटा से स्पष्ट होता है कि आदिवासी लड़कियों की शिक्षा की स्थिति जटिल है और इसे बहु-आयामी दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :-

- 1- उपस्थिति और ड्रॉपआउट दर के बढ़ने के साथ विद्यालय उपस्थिति घटती है, जिससे ड्रॉपआउट दर अधिक होती है।
- 2- भाषाई और शैक्षणिक अंतर मातृभाषा आधारित शिक्षण और बहुभाषी शिक्षक उपस्थिति सुधार सकते हैं।
- 3- सामाजिक और आर्थिक कारक आर्थिक मजबूरियाँ और पारंपरिक सामाजिक मान्यताएँ शिक्षा में बाधक हैं।
- 4- बुनियादी ढाँचा और सुरक्षारू स्कूलों में शौचालय, पेयजल, बिजली और सुरक्षित परिवहन की कमी उपस्थिति को प्रभावित करती है।

5- सरकारी पहल : योजनाएँ कुछ हद तक प्रभावी हैं, लेकिन बेहतर क्रियान्वयन और स्थानीय समुदाय की सहभागिता आवश्यक है।

इस अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि आदिवासी लड़कियों की शिक्षा को सुधारने के लिए केवल स्कूल खोलना पर्याप्त नहीं है। सामाजिक जागरूकता, परिवारिक समर्थन, भौगोलिक और बुनियादी बाधाओं का समाधान, भाषा-संवेदनशील शिक्षा और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सभी मिलकर इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

अध्ययन के डेटा को तालिकाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि विश्लेषण और व्याख्या और अधिक स्पष्ट और संक्षिप्त हो।

डेटा की व्याख्या :-

क्र. सं.	डेटा क्षेत्र	मुख्य निष्कर्ष	प्रतिशत/अवलोकन	व्याख्या/विश्लेषण
1	विद्यालय उपस्थिति (15-18 वर्ष)	किशोरावस्था में उपस्थिति में गिरावट	45%	प्रारंभिक विवाह, घरेलू जिम्मेदारियाँ और आर्थिक बाधाएँ प्रमुख कारण। दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रॉपआउट अधिक।
2.	ड्रॉपआउट कारण	आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक बाधाएँ	आर्थिक : 40%, सामाजिक : 30%, भौगोलिक: 30%	आर्थिक कारणों और पारंपरिक सोच के कारण लड़कियाँ विद्यालय छोड़ देती हैं। लंबी दूरी और सुरक्षा की चिंता भी प्रमुख है।
3.	शैक्षणिक प्रदर्शन (प्राथमिक स्तर)	अंक का औसत	60-65%	अधिकांश लड़कियाँ प्रारंभिक शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। भाषा और शिक्षण विधियाँ प्रभावी।
4.	भाषाई अंतर	मातृभाषा आधारित शिक्षा की प्रभावशीलता	बेहतर प्रदर्शन वाले स्कूलों में 10-15% अधिक अंक	बहुभाषी शिक्षण विधि और आदिवासी भाषाओं का ज्ञान प्रदर्शन सुधारता है।
5.	सामाजिक दृष्टिकोण (अभिभावक)	शिक्षा की आवश्यकता पर सहमति	60% मानते हैं कि शिक्षा जरूरी है, 35% उच्च शिक्षा तक भेजेंगे	आर्थिक और सामाजिक बाधाओं के कारण स्कूल भेजना कठिन। पारंपरिक सोच शिक्षा में रुचि प्रभावित करती है।

6.	भौगोलिक बाधाएँ	स्कूल की दूरी और दुर्गम क्षेत्र	70% विद्यालयों में लंबी दूरी/पहाड़ी क्षेत्र	दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल पहुँचने की कठिनाई उपस्थिति घटाती है। सुरक्षा की चिंता प्रमुख।
7.	बुनियादी ढाँचा की स्थिति	शौचालय, पेयजल, बिजली	70% में शौचालय, 60% में पेयजल, 50% में बिजली उपलब्ध	बुनियादी सुविधाओं की कमी लड़कियों की उपस्थिति और सीखने की क्षमता प्रभावित करती है।
8.	बुनियादी ढाँचा की स्थिति	शौचालय, पेयजल, बिजली	70% में शौचालय, 60% में पेयजल, 50% में बिजली उपलब्ध	बुनियादी सुविधाओं की कमी लड़कियों की उपस्थिति और सीखने की क्षमता प्रभावित करती है।
9.	सरकारी योजनाएँ – SSA	प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति सुधार	सकारात्मक प्रभाव, लेकिन शिक्षक उपस्थिति में कमी	SSA ने शिक्षा पहुँच बढ़ाई, लेकिन संसाधनों और निगरानी में सुधार आवश्यक।

सुझाव :-

- भाषा संवेदनशील शिक्षा प्राथमिक स्तर पर आदिवासी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना चाहिए। इससे लड़कियों की प्रारम्भिक सीखने की क्षमता बढ़ेगी और उनका आत्म विश्वास बढ़ेगा। विद्यालयों में बहुभाषीय शिक्षक नियुक्त करना और बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए।
- आदिवासियों की बच्चियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहिए। गरीब परिवारों की लड़कियों को छात्रवृत्तियाँ, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और ड्रेस उपलब्ध कराना चाहिए। जिससे परिवार की आर्थिक बाधाएं कम होगी और लड़कियों की विद्यालय में उपस्थिति बढ़ेगी।
- समय पर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जिससे बाल-विवाह, अंधविश्वास और लैंगिक भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ समुदाय में जागरूकता बढ़ेगी।
- बुनियादी ढाँचे में सुधार लाना चाहिए। सभी विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय, बिजली और खेल की सुविधाएं सुचारु रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। परिवहन सुविधा की व्यवस्था करना चाहिए।
- आदिवासी बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था करना चाहिए।
- समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करते रहना चाहिए और उनकी उपस्थिति सुरक्षित करते रहना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आदिवासी भाषाओं और उनकी रीति-रिवाज को बढ़ावा देना चाहिए।
- राज्य सरकार को, आदिवासी बहुल जिलों के लिए विशेष शिक्षा-नीति का तैयार करना चाहिए। जिसमें लड़कियों की शिक्षा, साक्षरता, विद्यालय उपस्थिति, ड्राप आउट दर और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लक्ष्य शामिल हो।

आदिवासी लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ :-

1- सामाजिक और सांस्कृतिक कारण :-

आदिवासी समाज में अब भी कुछ ऐसी धारणाएँ विद्यमान हैं जो लड़कियों की शिक्षा को सीमित करती हैं। कई परिवार मानते हैं कि लड़कियों का मुख्य उद्देश्य गृहस्थी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए तैयार होना है। इसके कारण, वे लड़कियों को उच्च शिक्षा तक पढ़ाने में उत्सुक नहीं रहते। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक विवाह की प्रथा आज भी कई आदिवासी समुदायों में मौजूद है। किशोरावस्था में विवाह होने के कारण लड़कियाँ समयपूर्व ही स्कूल छोड़ देती हैं। इसके परिणामस्वरूप लड़कियों की पढ़ाई की अवधि कम हो जाती है और उनकी शैक्षणिक विकास की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।

2- भौगोलिक बाधाएँ :-

झारखंड की भौगोलिक संरचना भी आदिवासी शिक्षा को प्रभावित करती है। आदिवासी गाँव अक्सर घने जंगलों, पहाड़ियों और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं। स्कूलों तक पहुँचने के लिए लड़कियों को कई किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह न केवल थकाऊ और समय-सापेक्ष है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी असुरक्षित हो सकता है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की कठिनाइयाँ लड़कियों के ड्रॉपआउट की एक बड़ी वजह हैं।

3- भाषाई बाधाएँ :-

अधिकांश आदिवासी लड़कियाँ अपनी मातृभाषा जैसे संथाली, मुंडारी, उरांव, या खड़िया में संवाद करती हैं। जबकि स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होता है। भाषा का यह अंतर उनकी पढ़ाई की समझ और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। शुरुआती वर्षों में भाषा की कठिनाई लड़कियों को आत्मविश्वास और विद्यालय में भागीदारी को कम करती है। यदि शिक्षक आदिवासी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो बच्चों की शिक्षा में सुधार होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता।

4- सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी :-

कई आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शौचालय, साफ पेयजल, परिवहन और बिजली जैसी सुविधाएँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। किशोरावस्था की लड़कियों के लिए शौचालय की कमी विशेष रूप से समस्या उत्पन्न करती है। इसके कारण लड़कियाँ विद्यालय छोड़ देती हैं या विद्यालय में अनुपस्थित रहती हैं। इसके अलावा, सुरक्षित परिवहन की अनुपस्थिति भी सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का कारण है।

5- शिक्षकों की कमी और उपस्थिति की कमी :-

कई आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में नियुक्त शिक्षक नियमित रूप से स्कूल उपस्थित नहीं रहते। कई शिक्षक आदिवासी भाषाओं को नहीं जानते, जिससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। शिक्षण की गुणवत्ता और शिक्षक की उपस्थिति की कमी के कारण छात्रों की शैक्षणिक प्रगति धीमी हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप आदिवासी लड़कियों की शिक्षा में रुचि घटती है और ड्रॉपआउट दर बढ़ जाती है।

सरकारी पहल :-

झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने आदिवासी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना, ड्रॉपआउट कम करना और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

- 1- सर्व शिक्षा अभियान (SSA) :-** सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय खोले गए हैं और शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। SSA के तहत सामुदायिक सहभागिता, विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा पर ध्यान दिया गया है।
- 2- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) :-** KGBV योजना के अंतर्गत आदिवासी और अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालयों में लड़कियों को शिक्षा के साथ-साथ आवासीय सुविधाएँ, पोषण, स्वास्थ्य और पाठ्येतर गतिविधियों की सुविधा भी दी जाती है। इससे दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों की लड़कियों को शिक्षा का अवसर मिलता है।
- 3- मध्याह्न भोजन योजना :-** मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और पोषण स्तर में सुधार करना है। आदिवासी क्षेत्रों में इस योजना ने विशेष रूप से लड़कियों की उपस्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुफ्त भोजन ने अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और कक्षा में ध्यान बनाए रखने में मदद की।
- 4- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) :-** BBBP अभियान लड़कियों के जन्म से लेकर शिक्षा तक उनके अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तीकरण पर केंद्रित है। यह अभियान समाज में लड़कियों की शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाता है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है।
- 5- आदिवासी उपयोजना (TSP) :-** ट्राइबल सबप्लान (TSP) के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जैच के तहत संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।
- 6- आदिवासी उपयोजना (TSP) :-** ट्राइबल सबप्लान (TSP) के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए TSP के तहत संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना आदिवासी समुदाय के विकास और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

झारखंड में आदिवासी लड़कियों की शिक्षा कई बाधाओं से जूझ रही है। आर्थिक कठिनाइयाँ, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ, भौगोलिक दूरी, भाषा की बाधाएँ, सुरक्षा और सुविधाओं की कमी, तथा शिक्षक उपस्थिति की समस्या जैसे कारक शिक्षा की पहुँच में बाधक हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ लागू की हैं। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आदिवासी उपयोजना ने शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, इन पहलों की प्रभावशीलता तब और बढ़ सकती है जब स्थानीय समुदाय, अभिभावक और शिक्षक मिलकर लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दें, भाषा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाए और बुनियादी ढाँचे और सुरक्षा के उपाय

सुनिश्चित किए जाएँ। केवल सरकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं समाज की सोच में परिवर्तन, परिवारों की जागरूकता और लड़कियों के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

निष्कर्ष :-

अध्ययन के आधार पर हमें आदिवासी बालिकाओं से पता चलता कि अधिकतर आदिवासी परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। अभिभावक की शैक्षिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होती है। घर से विद्यालय दूर होने के कारण लड़कियाँ विद्यालय नहीं जा पाती हैं। घर के काम-काज के कारण विद्यालय समय पर नहीं पहुँच पाती है। सरकारी योजनाओं का लाभ सभी आदिवासी लड़कियों को नहीं मिल पाता है। आज विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा में आर्थिक, सामाजिक तथा विद्यालयीय सभी प्रकार की बाधाएँ हैं इन समस्याओं का सरकार तथा विद्यालय, समाज तथा अभिभावकों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में बाधक तत्वों में मुख्य कारक माता-पिता का अशिक्षित होना है। अधिकतर अध्यापक बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए भी जोर नहीं देते हैं। घर का काम करके करवाने पर जोर दिया जाता है।

सन्दर्भ सूची :-

- सरकार, भारत. (2001). झारखंड जनगणना रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारतीय सांख्यिकी ब्यूरो।
- सरकार, भारत. (2011). राष्ट्रीय साक्षरता सर्वेक्षण रिपोर्ट. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
- सरकार, झारखंड. (2020). झारखंड शिक्षा नीति दस्तावेज. रांची: शिक्षा विभाग : मिश्रा, ए. के., – वर्मा, पी. एल. (2018).
- झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा की चुनौतियाँ. भारतीय शैक्षणिक जर्नल, 12(3), 45–62।
- शर्मा, आर. एस. (2017). आदिवासी समाज में लैंगिक असमानता और शिक्षा. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पत्रिका, 8(2), 101–120।
- सरकार, भारत. (2009). सर्व शिक्षा अभियान दिशा-निर्देश. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
- सरकार, भारत. (2004). कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना रिपोर्ट. नई दिल्ली: महिला और बाल विकास मंत्रालय।
- सरकार, भारत. (2015). मध्याह्न भोजन योजना रिपोर्ट. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
- सरकार, भारत. (2016). बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ अभियान दस्तावेज. नई दिल्ली: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- सरकार, भारत. (2000). ट्राइबल सबप्लान (जैच) रिपोर्ट. नई दिल्ली: योजना आयोग।
- सिंह, एम. पी., – कुर्मी, टी. एन. (2019). आदिवासी लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन. भारतीय महिला अध्ययन जर्नल, 15(1), 33–52।
- चौहान, आर. के. (2018). झारखंड में आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा: पायलट अध्ययन. शैक्षणिक अनुसंधान पत्रिका, 10(4), 78–94।